न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–सीधी निग-3440-II/16

गिरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री भिम्मासिंह चौहान, निवासी ग्राम करौदिया दक्षिण टोला तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.)

—— आवेदक

विरूद्ध

1. गोपाल सिंह पुत्र स्व.श्री कुसुम सिंह,
2. समर बहादुर सिंह पुत्र स्व. श्री सन्त बहादुर सिंह
3. अमर बहादुर सिंह पुत्र स्व. श्री सन्त बहादुर सिंह
4. दशरथ सिंह पुत्र स्व. श्री सन्त बहादुर सिंह पदमनाथ पुत्र सन्तकुमार,
   निवासीगणी – ग्राम करौदिया दक्षिण टोला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.)
5. मध्य प्रदेश शासन—— अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3910–दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनर्विलोकन निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले का संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, आवेदक गिरेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा उप–खण्ड अधिकारी, गोपदबनास के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि आराजी नम्बर 301 रकवा 0.259 है0 के संबंध में नक्शा सुधार बावत् न्यायालय अपर कलेक्टर, सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो न्यायालय द्वारा विधिवत जॉच की जाकर पारित आदेश दिनांक 04.07.2015 को स्वीकार किया गया था।
2. यहकि, अपर कलेक्टर, सीधी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 03.10.2015 को निरस्त की गयी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु –3440–दो/16 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
02.05.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेद्री उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजीवक शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3910–दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 23.09.16 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3440–दो/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 3910–दो/2015 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 23.09.16 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 3440–दो/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य